

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
बुलन्दशहर

प्रेष,

प्रबन्धक  
एलिंगवा पब्लिक स्कूल किशौला  
विशेष स्थाना बुलन्दशहर

पत्रांक/शि०स०/मान्यता/ ५९६

/2013-14 दिनांक - 14-5-13

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 01.10.2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ति पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं एलिंगवा पब्लिक स्कूल किशौला विशेष स्थाना बुलन्दशहर को तारीख 01.07.2013 से तारीख 30.06.2014 तक स्थायी कक्षा नर्सरी से कक्षा 05 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 5.12. के प्रस्ताव संख्या 04 में व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 05 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथारिथति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

.....2

  
Manager  
Alingua Public School  
Kisola (Bulandshahr)

  
Principal  
Alingua Public School  
Kisola (Bulandshahr)

प्रेषक,

जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी,  
बुलन्दशहर

प्रेष,

प्रबन्धक एलिंग्वा पब्लिक जू०एटो स्कूल,  
किसौला वि०के० स्थाना  
जनपद- बुलन्दशहर।

पत्रांक/शि०स०/मान्यता/ 1009-1010 /2011-12 दिनांक - 11/12/12

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

संबन्ध/संदर्भ,

आपके तारीख 07-09-11 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं एलिंग्वा पब्लिक जू०एटो स्कूल, किसौला, वि०के० स्थाना, बुलन्दशहर को तारीख 1-7-12 से तारीख 30-6-20-15 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 06 से कक्षा 08 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 26-4-12 के प्रस्ताव संख्या में व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथार्थिथि, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 15% प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 2 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय को मान्यता प्रमाण प्रदान किया जाएगा।

  
Manager  
Alingua Public School  
Kisola (Bulandshahr)

  
Principal  
Alingua Public School  
Kisola (Bulandshahr)